न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई0ए0एस0
मुकदमा नम्बरः—50/2018 राजस्व वाद
श्री जगदीश चन्द्र पिता बंशीलाल सोमानी, उम्र बालिग निवासी कालियास हाल सिरकी मोहल्ला, महिला आश्रम रोड़, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा व दुरूस्तीकरण इन्द्राजात बाबत

उपस्थितः—

1—श्री सत्यनारायण चाण्डक — एडवोकेट—वादी
2—तहसीलदार—भीलवाड़ा — पेरोकार सरकार—प्रतिवादी

:: नि र्ण य :: दिनांकः—25.3.2019

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र बाबत घोषणा व दुरूस्तीकरण इन्द्राजात बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में शंकरलाल पिता हुलास चन्द महाजन के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य प्राप्त शुदा आराजी नं. 57 रकबा 2 बिस्वा व आराजी नम्बर 810 व 56 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा माफिक बन्दोबस्त किता दो रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जिसको शंकरलाल पिता हुलास चन्द्र महाजन द्वारा रूपयों की आवश्यकता होने से वादी व शंकरलाल पिता मथुरा लाल कोगटा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.11.1993 को विक्रय कर दी। आराजी नम्बर 57 रकबा दो बिस्वा का आधा हिस्सा वादी को तथा आधा हिस्सा शंकरलाल पिता मथुरालाल कोगटा को विक्रय किया गया। इन तथ्यों बाबत विक्रय पत्र में स्पष्ट अंकन किया गया हैं। तथा आराजी नम्बर 810, 56 में से रकबा 8 बिस्वा उत्तर तरफ का शंकरलाल पिता मथुरा लाल कोगटा को विक्रय किया गया, शेष रकबा 19 बिस्वा वादी को विक्रय किया गया। जिसका भी विक्रय पत्र उक्त आराजी के साथ—साथ निष्पादित किया गया। उक्त आराजियात शंकरलाल पिता हुलासचन्द्र महाजन द्वारा विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये जाने के पश्चात वादी व शंकरलाल के नामान्तकरण कराने हेतु आवेदन पेश किया, लेकिन इंतकाल शंकरलाल पिता मथुरालाल कोगटा, जगदीश चन्द्र पिता बंशीलाल सोमानी को 1/2 हिस्सा आराजी नम्बर 57 में से 1/2 हिस्सा ही दर्ज किया गया। जबकि शंकरलाल पिता हुलासचन्द महाजन द्वारा आराजी 57 रकबा दो बिस्वा वादी व शंकरलाल कोगटा को पूरा हिस्सा विक्रय किया गया हैं। लेकिन सहवन से आधा हिस्सा ही शंकरलाल व वादी के नाम दर्ज किया गया। व आधा हिस्सा शंकरलाल पिता हुलासचन्द्र महाजन के नाम दर्ज रह गया। शंकरलाल पिता मथुरालाल कोगटा ने अपना आधा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

हिस्सा वादी के पक्ष में दिनांक 4.11.1984 को जरिये पंजीकृत रिलीज डीड से वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया । इस प्रकार आराजी संख्या 57 रकबा 2 बिस्वा का वादी पूरा मालिक हो गया । आराजी नम्बर 57 रकबा 2 बिस्वा का आधा हिस्सा ही वादी व शंकरलाल कोगटा के नाम पर गलती से दर्ज हो गया व आधा हिस्सा दर्ज होने से रह गया । जबकि विकेता द्वारा उक्त आराजी 57 रकबा 2 बिस्वा को विक्रय किया गया। शंकरलाल कोगटा रिलीज डीड दिनांक 4.11.1984 को वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिये जाने के बाद शंकरलाल का आधा हिस्सा भी वादी के नाम दर्ज कर दिया गया। लेकिन वादी के नाम आराजी नम्बर 57 रकबा 2 बिस्वा का आधा हिस्सा ही दर्ज हुआ। जबकि पूरी आराजियात का स्वामी वादी है लेकिन गलती से पूरी आराजी खातेदार के नाम दर्ज होने से रह गयी। लेकिन पूरी आराजियात का स्वामी जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड व जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से हैं। इस कारण आराजी नम्बर 57 रकबा 2 बिस्वा की पूरी आराजी का इंतकाल वादी के नाम किया जाना न्यायोचित हैं। तथा उक्त आराजी नम्बर 57 रकबा 2 बिस्वा पर अकेले वाद ही काबिज हैं। उसका उपयोग–उपभोग वादी निरन्तर बिना किसी रोक–टोक के करता चला आ रहा हैं। इस कारण वादी प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की डिक्री पाने का अधिकारी होकर खातेदार घोषित किया जावें। व वादी के नाम किया जावें। वादी का वाद दिनांक 6.9.2017 को नकले प्राप्त करने पर होने से वाद अंदर अवधि पेश हैं। बिनाय वाद दिनांक 6.9.2017 से पैदा होकर निरन्तर जारी हैं। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावें।

वकील वादी का वाद पत्र दिनांक 6.6.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्रापत हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने दिनांक 11.2.2019 को प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर नकल वकील वादी को दी गयी। पेरोकार सरकार ने वादी के वाद पत्र के खण्डन में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

वकील वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी की नकल सम्वत् 2055 से 2058 की फोटो प्रति प्रमाणित, इंतकाल संख्या 627 की फोटो प्रति प्रमाणित , जमाबंदी की नकल सम्वत् 2063 से 2066 की नकल, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2059 से 2062 की नकल, विक्रय पत्र की फोटो प्रति, रिलीज डीड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त किया गया।

पेरोकार सरकार ने वाद पत्र के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जबकि पेरोकार सरकार ने वादी के वाद पत्र को जवाबदावे के आधार पर वाद पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर ानन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम तस्वारिया पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर शंकरलाल पिता मथुरालाल (कोगटा) महाजन, जगदीश न्द्र पिता बंशीलाल सोमानी साकिन कालियास हाल भीलवाड़ा 1/2 हिस्सा, शंकर लाल ता हुलाश चन्द्र महाजन साकिन भीलवाड़ा 1/2 हिस्सा साकिन देह के नाम दर्ज कार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2055 से 058 व 2059 से 2062 की फोटो प्रति प्रमाणित से होती हैं। श्री शकरलाल पिता हुलाश न्द्र महाजन साकिन द्वारा अपना 1/2 हिस्सा श्री शंकर लाल पिता मथुरालाल कोगटा श्री जगदीश चन्द्र पिता बंशीलाल सोमानी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा धा–हिस्सा–आधा हिस्सा दोनों केतागणों को किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय त्र की फोटो प्रति से होती हैं। श्री शंकरलाल पिता मथुरालाल कोगटा द्वारा अपने हिस्से ो आराजी का रिलीज डीड के द्वारा वादी के पक्ष में हिस्सा निष्पादित किया गया। सकी ताईद प्रस्तुत रिलीज डीड की फोटो प्रति से होती हैं। जिसमें वादी विवादित राजियात का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार हुआ। किन्तु खाते में वादी एवं केतागण श्री शकरलाल पिता हुलास चन्द्र महाजन का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज हैं। सकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2063 से 2066 से ती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में अंकित तथ्यों से जाहिर है कि विवादित राजियात ग्राम तस्वारिया पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित कर वादी व शंकरलाल पिता मथुरालाल कोगटा का 1/2 हिस्सा तथा शंकरलाल पिता ास चन्द्र महाजन का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। शंकरलाल पिता हुलासचन्द्र ाजन ने अपना 1/2 हिस्सा में से आधा–आधा हिस्सा वादी व शंकरलाल पिता ुरालाल कोगटा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया। शंकर लाल पिता ुरालाल कोगटा ने भी अपना आधा हिस्सा वादी के पक्ष में रिलीज डीड जरिये पंजीकृत तावेज के माध्यम से किया गया। इस प्रकार वादी विवादित आराजियात का पूर्ण रूप खातेदार काश्तकार हो गया हैं। क्योंकि वर्तमान में वादी ही उक्त विवादित राजियात पर काबिज होकर काश्तकर रहा है तथा उपयोग–उपभोग भी वादी ही कर हैं। जिसकी ताईद वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र से होती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्व ाने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती अतः

:: आ दे श ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व वादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तस्वारिया पटवार हल्का ड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 57 रकबा 2 बिस्वा भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

भूमि वादी के नाम दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावें। तथा शांतिपूर्व उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 25.3.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner